

## vugyXud&1

fn'kk&funz kka vkg uhfr; ka dh ryuk  
/i ſk 2-1 eſ | nñkr%

Ø- । a	edſ	fn'kk&funz k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
	1- ikl fxrk				
1.	ikl fxdrk	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ सभी मेजर पोर्ट ट्रस्ट</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ मुंबई और कोलकाता को छोड़कर सभी प्रमुख बंदरगाहें</li> <li>❖ बीओटी परियोजनाएं जिसके लिए पहले से ही अलग दिशा-निर्देश मौजूद हैं के लिए लागू नहीं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ कांडला पोर्ट ट्रस्ट के गांधीधाम टाउनशिप से संबंधित भूमि छोड़कर सभी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट और एनोर बंदरगाह।</li> <li>❖ बीओटी परियोजनाओं पर लागू</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ कांडला, मुंबई और कोलकाता पत्तनों के टाउनशिप क्षेत्रों से संबंधित भूमि छोड़कर सभी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट और कामराजार पोर्ट लिमिटेड (एनोर पोर्ट लिमिटेड)</li> </ul>
	2- Hkfe mi ; kx ; kstuk				
2 (ए)	dojſt vofek	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह 30 वर्षों की अवधि हेतु संभावित भूमि उपयोग योजना बनाती है और अनुमोदन के लिए मंत्रालय को अग्रेषित करती है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह पर भूमि उपयोग योजना होगी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी तथा एक प्रति भारत सरकार को अग्रेषित की जाएगी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह उनके अधीनस्थ / प्रबंधित सारी भूमि को कवर करते हुए एक भूमि उपयोग योजना होगी। ऐसी योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी तथा एक प्रति भारत सरकार को अग्रेषित की जाएगी।</li> </ul>
2 (बी)	i pujh{k.k. gſq  vofek	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन के साथ प्रत्येक पांच वर्ष के बाद या जब भी आवश्यक भूमि उपयोग योजना का पुनरीक्षण किया जाना होता है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पुनरीक्षण हेतु अवधि बताई नहीं गई थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पुनरीक्षण हेतु अवधि बताई नहीं गई थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भूमि उपयोग योजना का प्रत्येक पांच वर्ष में पुनरीक्षण किया जाना था।</li> </ul>
2 (सी)	vſre : i fn; s tkus dh dk; l i ) fr	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ विनिर्दिष्ट नहीं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ विनिर्दिष्ट नहीं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ किसी भी भूमि उपयोग के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव योजना विभिन्न पण्धारकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ किसी भी भूमि उपयोग के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव योजना विभिन्न पण्धारकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।</li> </ul>

Ø- I a	edk	fn' kk&fun k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
3- Hkfe vkcdu u ½dLVe ckM {ks= ds vUnj ½					
3 (ए)(i)	vkcd/u dhl idkj ½i½ ½ kekU; ½	❖ भूमि पट्टे पर आंबित की जा सकती थी।	❖ नये आबंटन 11 केवल महीने की अधिकतम अवधि के लिए ही लाइसेंस आधार पर किये जा सकते हैं।	❖ नये आबंटन केवल लाइसेंस आधार पर अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए किये जा सकते हैं।	❖ नये आंबटन केवल लाइसेंस आधार पर अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए किये जा सकते हैं।
3 (ए)(ii)	vkcd/u dhl idkj ½i½ LFkkbz l jpkvka grq	❖ चूंकि नीति में इस उद्देश्य के लिए आबंटन के प्रति कुछ विनिर्दिष्ट नहीं किया गया, यह बिना किसी रुकावट के लिया जाना था।	❖ आबंटन लाइसेंस आधार पर 11 महीने की छोटी अवधि के लिए किये जा सकते थे। चूंकि नीति में इस उद्देश्य के लिए आबंटन के प्रति कुछ विनिर्दिष्ट नहीं किया गया।	❖ आबंटन लाइसेंस आधार पर 11 महीने की छोटी अवधि के लिए किये जा सकते थे। स्थाई संरचनाओं के लिए भूमि आबंटन स्वीकृत नहीं था।	❖ स्थाई संरचनाओं के लिए भूमि आबंटन स्वीकृत नहीं था। जहां भूमि नीति दिशा—निर्देश 2004 से पहले पट्टाधारक ने स्थाई संरचनाओं निर्मित कीं मौजूदा पट्टाधारक एवं के साथ मिलान के लिए सहमत होने चाहिए। अन्यथा, मौजूदा पट्टाधारक द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों को परस्पर सहमत मूल्यदाता द्वारा मूल्यांकित किया जाना चाहिए और इस प्रकार आकलित मूल्य सफल बोलीदाता से वसूला जाएगा तथा मौजूदा पट्टाधारक को दिया जाएगा।
3 (ए)(iii)	vkcd/u ds idkj ½i½ vLFkkbz l jpkukvka grq	❖ कोई अलग नीति नहीं	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ अध्यक्ष 10 वर्षों के तक पट्टे आधार पर मध्यम अवधि के लिए आंबित कर सकती है।	❖ विनिर्दिष्ट नहीं
3 (ए)(iv)	cnjxkg l pkyu ½ kyd eja 'kkW l i sk.k dæ vlfñ½ l s l xfekr egRoi wkl xfrfofek; ka ds fy, vkcd/u ds idkj	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ लाइसेंस आधार पर 11 महीने से अधिक नहीं	❖ लाइसेंस आधार पर परंतु लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

Q. 1 a	ejs	fn'kk&funlk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
3 (बी)(i)	vkcl/u dkl <jk fufonk }jk	❖ ढंग विनिर्दिष्ट नहीं था।	❖ अध्यक्ष अपने विवेक से निविदाएं आमंत्रित कर लाइसेंस पर भी भूमि दे सकता है।	❖ अध्यक्ष अपने विवेक से निविदाएं आमंत्रित कर लाइसेंस पर भी भूमि दे सकता है।	❖ जहां भी संभव हो, प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करके आबंटन किया जाना चाहिए। ❖ जहां निविदा—सह—निलामी संभव नहीं थी, निविदा—सह—निलामी के बिना अपवाद के रूप में जाकर आंबटन किया जा सकता था।
3 (बी)(ii)	vkcl/u dkl <jk ukekdu }jk	❖ ढंग विनिर्दिष्ट नहीं था।	❖ ढंग विनिर्दिष्ट नहीं था।	❖ 10 वर्षों तक मध्यम अवधि के लिए पट्टे का आबंटन निविदा या कैस्टिव उपयोग आधार पर किया जा सकता था।	❖ निविदा—सह—निलामी कार्यपद्धति का सहारा लिये बिना आबंटन अपवाद के रूप में किया जाना चाहिए। ❖ गतिविधियाँ जो पत्तन संचालनों/सहायक पत्तन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो, के लिए सीपीएसयूज़ / एसपीएसयूज़ के आधार पर नामांकन पर भूमि आवंटित की जा सकती है।
3 (सी)	vkcl/u dkl mls;	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ केवल पत्तन गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित गतिविधियों के लिए।	❖ केवल पत्तन संचालनों संबंधित गतिविधियों के लिए और पत्तन संचालन सहायक गतिविधियों के लिए।	❖ पत्तन संचालनों या सहायक पत्तन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु।
3 (डी)	ykbl d k uohdj.k	❖ लाइसेंस अवधारणा विनिर्दिष्ट नहीं होने के कारण आरंभ नहीं की गई थी।	❖ प्रत्येक नवीकरण एक नये लाइसेंस के रूप में लिया जाना चाहिए।	❖ प्रत्येक नवीकरण एक नये लाइसेंस के रूप में लिया जाना चाहिए।	❖ कोई नवीकरण खंड उपलब्ध नहीं है।
3 (ई)	ekStnjk i VVs dkl uohdj.k	❖ पट्टे अनुबंधों में स्वतः नवीकरण धारा नहीं होगी।	❖ यदि पट्टा समझौता स्वतः नवीकरण उपलब्ध कराता है, नवीकरण एसओआर या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर किया जा सकता था।  ❖ अन्यथा मौजूदा पट्टा धारक की मनाही को पहले अधिकार को देते हुए नये आबंटन हेतु प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। मौजूदा पट्टा धारक एच1 से सहमत होना चाहिए।	❖ यदि पट्टा समझौता स्वतः नवीकरण उपलब्ध कराता है, नवीकरण एसओआर या बाजार मूल्य पर किया जा सकता था।  ❖ अन्यथा मौजूदा पट्टा धारक की मनाही के पहले अधिकार को देते हुए नये आबंटन हेतु प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। मौजूदा पट्टा धारक एच1 से सहमत होना चाहिए।	

Ø- I a	eds	fn'kk&fun{k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
3 (एफ)	vuk{; uohdj.k dh l{; k	❖ बोर्ड 30 वर्षों तक नवीकरण कर सकता था और 30 वर्षों से अधिक परन्तु 99 वर्षों तक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।	❖ बोर्ड 30 वर्षों तक नवीकरण कर सकता था और 30 वर्षों से अधिक परन्तु 99 वर्षों तक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।	❖ हालांकि, अध्यक्ष द्वारा लाइसेंस का दोबारा नवीकरण किया जा सकता है।  ❖ इसके अतिरिक्त बोर्ड 30 वर्षों तक नवीकरण कर सकता था।  ❖ 30 वर्षों से अधिक परन्तु 99 वर्षों तक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।	❖ स्वतः नवीकरण खंड के साथ न उपलब्ध पट्टों के मामलों में नये पट्टों के लिए लागू प्रक्रिया अपनाई जाएगी।  ❖ स्वतः नवीकरण खंड के साथ उपलब्ध पट्टे के मामलों में, बोर्ड 30 वर्षों तक नवीकरण कर सकता था और सशक्त समिति द्वारा 30 वर्षों से अधिक परन्तु 99 वर्षों तक मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।
3 (जी)	i wjh{k.k vofekdrk	❖ बंदरगाह के पास प्रत्येक पांच वर्ष में पट्टा किराये के आधार पर पुनः निर्धारण के लिए विकल्प है।	❖ बंदरगाह के पास प्रत्येक पांच वर्ष में पट्टा किराये के आधार पर पुनः निर्धारण के लिए विकल्प है।	❖ बंदरगाह के पास प्रत्येक पांच वर्ष में पट्टा किराये के आधार पर पुनः निर्धारण के लिए विकल्प है।	❖ अवधि विनिर्दिष्ट नहीं थी।
3 (एच)	I j{k m i k;	❖ पट्टाधारक को पत्तन को प्रत्येक वर्ष पट्टा किराये के समान प्रीमियम अदा करना होगा।	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ विनिर्दिष्ट नहीं	❖ विनिर्दिष्ट नहीं
3 (आई)	fdjk; s i j mBkuk	❖ बंदरगाह के पूर्व अनुमोदन के बिना किराये पर लेने या सुपुर्दगी के मामले में, पट्टा निरस्त हो सकता है।	❖ वही	❖ वही	❖ वही
3 (जे)	ykxw i VV{k fdjk; k	❖ दर मापक्रम (एसओआर) के अनुसार पट्टा किराया प्रभारित करना पड़ेगा।	❖ दर मापक्रम (एसओआर) के अनुसार पट्टा किराया प्रभारित करना पड़ेगा।	❖ दर मापक्रम (एसओआर) के अनुसार पट्टा किराया प्रभारित करना पड़ेगा।	❖ दर मापक्रम (एसओआर) के अनुसार पट्टा किराया प्रभारित करना पड़ेगा।
4- Hkfe dk vkcdu&cdLVe ckW {ks= I s ckjg½					
4 (ए)	vkcd/u ds i zdkj	❖ आबंटन पट्टे पर किया जाएगा	❖ आबंटन या तो लाइसेंस या पट्टा आधार पर किया जा सकता है।	❖ आबंटन या तो लाइसेंस या पट्टा आधार पर किया जा सकता है।	❖ सामान्यतः भूमि केवल पट्टा आधार पर आबंटित की जाएगी। यद्यपि, लेख्यांकित कारणों के बावजूद केवल लाइसेंस आधार पर बंदरगाह संबंधित गतिविधियों के लिए लाइसेंस आधार पर भूमि दी जा सकती है।

Ø.   a	edjs	fn'kk&fun{kk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
4 (बी)	vkcdu dh i ) fr	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ कोई प्रतिबंध विनिर्दिष्ट नहीं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एसओआर पर नामांकन आधार पर बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी विभागों/सीपीएसयूज़/एसपीएसयूज़ को आबंटन किया जा सकता है।</li> <li>❖ हालांकि निजी पार्टियों के साथ सीपीएसयूज़/एसपीएसयूज़ द्वारा संयुक्त उद्यम नामांकन पद्धति द्वारा आबंटन हेतु योग्य नहीं थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एसओआर पर नामांकन आधार पर बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी विभागों/स्थानीय सापिधिक निकायों/सापिधिक प्राधिकरणों/राज्य या केंद्रीय मंत्रालयों/सीपीएसयूज़/एसपीएसयूज़ /राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अधीन स्वायत्त संगठन जैसे—पुलिस, सीआईएसएफ, तटरक्षक बल और नौ सेना को किया जा सकता है।</li> <li>❖ हालांकि निजी पार्टियों के साथ सीपीएसयूज़/एसपीएसयूज़ द्वारा संयुक्त उद्यम नामांकन पद्धति द्वारा आबंटन हेतु योग्य नहीं थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ नामांकन बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों/सरकारी विभागों/स्थानीय सापिधिक निकायों/सापिधिक प्राधिकरणों/राज्य या केंद्रीय मंत्रालयों/सीपीएसयूज़/एसपीएसयूज़ /राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अधीन स्वायत्त संगठन जैसे—पुलिस, सीआईएसएफ, तटरक्षक बल और नौ सेना को किया जा सकता है।</li> <li>❖ हालांकि निजी पार्टियों के साथ सीपीएसयूज़ /एसपीएसयूज़ द्वारा संयुक्त उद्यम नामांकन पद्धति द्वारा आबंटन हेतु योग्य थे, बशर्ते कि सीपीएसयूज़/एसपीएसयूज़/राज्य प्राधिकरण मुख्य प्रवर्तक हों और सबसे ज्यादा शेयर धारक हों।</li> </ul>
4 (सी)	vkcdu dk mls;	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ विनिर्दिष्ट नहीं।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ बंदरगाह संबंधी और गैर—बंदरगाह संबंधी उद्देश्य के बीच अंतर नहीं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ बंदरगाह संबंधी और गैर—बंदरगाह संबंधी उद्देश्य के बीच अंतर नहीं</li> <li>❖ बंदरगाह संबंधी और गैर—बंदरगाह संबंधी उद्देश्यों के लिए भूमि आबंटित की जा सकती है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ सामान्यतः भूमि केवल पट्टा आधार पर आबंटित की जाएगी। हालांकि कारण दर्ज करते हुए केवल लाइसेंस के आधार पर बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए लाइसेंस के आधार पर भूमि दी जा सकती है।</li> </ul>
4 (डी)	ykbld uojuhdj.k	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ लाइसेंस के आधार पर आबंटन की धारणा को उस समय लागू नहीं किया गया। अतः कोई विशेष निर्देश उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ कोई विशेष दिशा—निर्देश उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ लाइसेंस नवीनीकरण उन्हीं शर्तों एवं निर्बन्धनों पर लागू होगा जैसा कि कस्टम बांड क्षेत्र के अंदर की भूमि के मामले में लागू है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ लाइसेंस नवीनीकरण उन्हीं पर्ती एवं निर्बन्धनों पर लागू होगा जैसा कि कस्टम बांड क्षेत्र के अंदर की भूमि के मामले में लागू है।</li> </ul>

Ø- I a	eds	fn'kk&fun'k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
4 (ई)	i VVs uojhujdj.k	dk	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण खण्ड नहीं होगा।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यदि बंदरगाह को अपने उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता हो, पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण के प्रावधान के बावजूद बंदरगाह भूमि का अधिग्रहण कर सकता है।</li> <li>❖ यदि पत्तन को अपने उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता न हो, और पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान हो तो ऐसा किया जा सकता है।</li> <li>❖ जहां बंदरगाह को भूमि की आवश्यकता न हो और पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान न हो, बंदरगाह अपने विवेकानुसार निविदाकरण प्रक्रिया का सहारा लिए बिना मौजूदा लाइसेंसधारक को नया पट्टा दे सकता है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यदि बंदरगाह को अपने उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता हो, पट्टा करार में स्वचालित नवीनीकरण के प्रावधान के बावजूद, एसओआर अथवा बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर नवीनीकरण किया जा सकता है।</li> <li>❖ अन्यथा नए आबंटन की प्रक्रिया मौजूदा लाइसेंस धारक को मना करने के प्रथम अधिकार के बाद अपनायी जाए। मौजूदा लाइसेंस धारक को एसओआर अथवा बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर सहमत होना चाहिये।</li> <li>❖ मौजूदा पट्टे के मामले में यदि पट्टा करार में स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान हो तो अधिसूचित अद्यतित बाजार मूल्य पर नवीनीकरण किया जा सकता है।</li> <li>❖ अन्यथा नए आबंटन की प्रक्रिया मौजूदा लाइसेंस धारक को मना करने के प्रथम अधिकार के बाद अपनायी जाए। मौजूदा लाइसेंसधारक को एच1 पर सहमत होना चाहिए।</li> </ul>
4 (एफ)	vuper uojhujdj.k dh   ; k		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 30 वर्षों तक का पट्टाकरण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात।</li> <li>❖ 30 वर्षों से ऊपर और 99 वर्षों तक मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 30 वर्षों तक का पट्टाकरण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात।</li> <li>❖ 30 वर्षों से ऊपर और 99 वर्षों तक मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 30 वर्षों तक का पट्टाकरण बोर्ड के अनुमोदन से। 30 वर्षों से 99 वर्षों तक का पट्टे की मंत्रालय की अनुमति हेतु बंदरगाह न्यास बोर्ड द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।</li> </ul>

0- । a	efls	fn'kk&funlk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
4 (जी)	❖ 30 o"kk ds ckn uohuhdj.k r=	❖ मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।	❖ मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।	❖ 30 वर्षों से 99 वर्षों तक के नए पट्टे के मामले सक्षम समिति के विचारार्थ मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए जिसमें सचिव (जहाजरानी), एएस एण्ड एफ, (जहाजरानी), आर्थिक मामले विभाग का एक प्रतिनिधि और योजना आयोग का एक प्रतिनिधि होता है।	❖ सक्षम समिति जिसमें एएस एण्ड एफए (जहाजरानी), संयुक्त सचिव (जहाजरानी) और आर्थिक मामला विभाग के संयुक्त सचिव तथा नीति आयोग का संबंधित सलाहकार होता है, वह मंत्रालय के अनुमोदन के विषयगत 30 वर्ष से 99 वर्षों तक के पट्टों का नवीनीकरण करेगा।
4 (एच)	ukekdu vkekkj ij vkca/u	❖ किसी विशेष पद्धति की व्याख्या नहीं की गई	❖ सरकारी विभागों/सीपीएसयूज़ /एसपीएसयूज़ को छोड़कर निविदा द्वारा आबंटन।	❖ सरकारी विभागों/सीपीएसयूज़ /एसपीएसयूज़ को आबंटन बोर्ड के अनुमोदन से और अन्य मामलों में मंत्रालय के अनुमोदन से।	<p>❖ सरकारी विभागों/सीपीएसयूज़ /एसपीएसयूज़ को छोड़कर निविदा द्वारा आबंटन।</p> <p>❖ नामांकन द्वारा बंदरगाह संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों/सरकारी विभागों/स्थानीय सांविधिक निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों/ राज्य या केंद्रीय मंत्रालयों/ सीपीएसयूज़ /एसपीएसयूज़ / राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अधीन स्वायत्त संगठन जैसे—पुलिस, सीआईएसएफ, तटरक्षक बल और नौ सेना को आबंटन।</p> <p>❖ सरकारी कॉलेजों/स्कूलों को 75 प्रतिशत तक रियायत दी जा सकती है और बंदरगाह के कार्यचालन (कस्टम, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा संचालन) के लिए आवश्यक सरकारी विभागों और अन्य विभागों/सीपीएसयूज़ / एसपीएसयूज़ को 50 प्रतिशत तक वार्षिक पट्टा किराये पर विचार किया जा सकता है।</p>

Ø- । a	eds	fn' kk&funl k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
					<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हालांकि यदि पट्टे वाली भूमि का वह उपयोग न किए जाने के मामले में जिसके लिए उसे पट्टे पर दिया गया था, स्थानान्तर/पुनः किराए पर और उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी। बंदरगाह को पट्टा समाप्त कर कर देना चाहिए तथा आवंटित भूमि वापस ले लेनी चाहिए।</li> </ul>
5- i VVs@ykbI । vkekjj ij Hkfe ds vko&u ds vU; fu; e ,oa 'kr‡					
5 (क)	mi i VVnkJh	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पट्टाधारी बंदरगाह की स्वीकृति से उपपट्टा/आंशिक रूप से उपपट्टा कर सकता था। अन्यथा पट्टा रद्द करने के अधीन था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पट्टाधारी बंदरगाह की स्वीकृति से उपपट्टा /आंशिक रूप से उपपट्टा कर सकता था। अन्यथा पट्टा रद्द करने के अधीन था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पट्टाधारी बंदरगाह की स्वीकृति से उपपट्टा /आंशिक रूप से उपपट्टा कर सकता था। अन्यथा पट्टा रद्द करने के अधीन था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ वर्तमान पट्टाधारी पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के लिए उप-पट्टाधारी से मूल पट्टाधारी द्वारा प्रभारित किराए का 50 प्रतिशत वसूल करने के पश्चात बंदरगाह की स्वीकृति से उपपट्टा /आंशिक रूप से उपपट्टा कर सकता था</li> <li>❖ हालांकि, जहां इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के पश्चात पट्टे किए गए वहां पट्टे को उनके द्वारा आवश्यक न होने वाले परिसरों को सौंपना चाहिए तथा किसी उपपट्टे को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।</li> </ul>
5 (ख)	mi ;kx ifjorl u	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ उपयोग में परिवर्तन को नए उपयोग हेतु लागू दरों के परिवर्तन के लिए स्वीकृति देने के अधीन मंजूरी दी गई।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ उपयोग में परिवर्तन को नए उपयोग हेतु लागू दरों के परिवर्तन के लिए स्वीकृति देने के अधीन मंजूरी दी गई।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ उपयोग में परिवर्तन को नए उपयोग हेतु लागू दरों के परिवर्तन के लिए स्वीकृति देने के अधीन मंजूरी दी गई।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ निर्दिष्ट नहीं।</li> </ul>
5 (ग)	fu"dkl u [k.M	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पट्टा करार को निष्कासन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यदि भूमि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था तो पट्टा करार को निष्कासन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यदि भूमि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था तो पट्टा करार को निष्कासन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए।</li> </ul>	

Ø.   a	edjs	fn'kk&fun{kk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पट्टे को सौपने के लिए कोई खण्ड नहीं ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पट्टे को सौपने के लिए कोई खण्ड नहीं ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ इसी प्रकार, पट्टा करार को पट्टाधारी द्वारा अग्रिम में कम से कम 3 माह पूर्व नोटिस के अधीन पट्टे का परित्याग करने की व्यवस्था करनी चाहिए।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ इसी प्रकार, पट्टा करार को पट्टाधारी द्वारा अग्रिम में कम से कम 6 माह पूर्व नोटिस के अधीन पट्टे का परित्याग करने की व्यवस्था करनी चाहिए।</li> </ul>
5 (घ)	i VVs gLrkj.k	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं था ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हस्तांतरण को निम्नलिखित पर हस्तांतरिती की स्वीकृति के अधीन पूर्व सहमति के पश्चात स्वीकृत किया जा सकता है।</li> </ul> <p>(i) हस्तांतरण के समय एसओआर के अनुसार संशोधित पट्टा किराया का भुगतान करना</p> <p>(ii) मूल पट्टाधारी की सभी देयताओं का भुगतान करने पर सहमति ।</p> <p>(iii) शेष पट्टा अवधि या एक वर्ष की पट्टा किराया अवधि जो भी अधिक हो, के लिए वर्तमान प्रीमियम तथा मूल प्रीमियम के बीच भिन्नता के 50 प्रतिशत का भुगतान करना ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ हस्तांतरण को निम्नलिखित पर हस्तांतरिती की स्वीकृति के अधीन पूर्व सहमति के पश्चात स्वीकृत किया जा सकता है।</li> </ul> <p>(i) हस्तांतरण के समय एसओआर के अनुसार संशोधित पट्टा किराया का भुगतान करना</p> <p>(ii) मूल पट्टाधारी की सभी देयताओं का भुगतान करने पर सहमति ।</p> <p>(iii) शेष पट्टा अवधि या एक वर्ष की पट्टा किराया अवधि जो भी अधिक हो, के लिए वर्तमान प्रीमियम तथा मूल प्रीमियम के बीच भिन्नता के 50 प्रतिशत का भुगतान करना ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यदि हस्तांतरणकर्ता पट्टे के हस्तांतरण पर हस्तांतरिती से प्रीमियम लेता है तो ऐसे प्रीमियम के 50 प्रतिशत का बंदरगाह को भुगतान किया जाना है ।</li> </ul> <p>❖ पट्टे का हस्तांतरण वहां स्वीकृत नहीं होगा जहां भूमि को नामांकन आधार पर या रियायती दर पट्टा किरा, पर ठेके पर दिया गया हो ।</p>
5 (ड)	vfxæ jkf'k@ okf'kd Qhl ds vkækj ij i VV nuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ निर्दिष्ट नहीं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ केवल अग्रिम राशि के आधार पर पट्टा देना । यदि, यह संभव नहीं था तो इसे वार्षिक फीस आधार पर किया जा सकता है ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ केवल अग्रिम राशि के आधार पर पट्टा देना । यदि, यह संभव नहीं था तो इसे वार्षिक फीस आधार पर किया जा सकता है ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ निर्दिष्ट नहीं ।</li> </ul>

Ø- I a	e s	fn'kk&fun k 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
5 (च)	vukfek-r vfekxg.k	❖ ऐसा कोई खंड नहीं	❖ पट्टे की समाप्ति/जप्ती के पश्चात, कोई भी अनधिकृत अधिग्रहण प्रचलित एसओआर के अनुसार पट्टे किराए का तीन गुना मुआवजा लगेगा।	❖ पट्टे की समाप्ति या रद्द करने या निर्धारण के पश्चात, यदि पट्टाधारी अनधिकृत पट्टे का अधिग्रहण जारी रखता है तो उसे पट्टे किराए के तीन गुना मुआवजा प्रभार का भुगतान करना पड़ता है।	❖ पट्टे की समाप्ति या रद्द करने या निर्धारण के पश्चात, यदि पट्टा धारी अनधिकृत पट्टे का अधिग्रहण जारी रखता है तो उसे पट्टे किराए के तीन गुना मुआवजा प्रभार का भुगतान करना पड़ता है।
5 (छ)	I Hkh I j pukvka dks gVukuk	❖ ऐसा कोई खंड नहीं	❖ पट्टाधारी से पट्टे की समाप्ति के तीन माह के अन्दर उसकी स्वयं की लागत पर सभी संरचनाओं को हटाने की अपेक्षा की जाती है।	❖ वही	❖ वही
6- nj eki Øe					
6 (ए)	vupknu ds fy, i kfekdkj	❖ यह नीति टीएएमपी के गठन से पूर्व जारी की गई थी। पट्टा किराया मुख्य पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया गया था।	❖ सारी भूमि के लिए एसओआर टीएएमपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	❖ सारी भूमि के लिए एसओआर टीएएमपी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	❖ बाजार तंत्र (निविदा एंव निलामी विधि) पट्टा और लाइसेंस किराए का निर्धारण करेगी जहां निविदा एंव निलामी आवंटन के लिए व्यवहार्य थी। अन्य मामलों में दर भूमि के बाजार मूल्य से छः प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6 (बी)	I dkkekku ds fy, vkofekdrk	❖ एसओआर को प्रत्येक पाचं वर्षों पर संशोधित किया जाता है या यदि आवश्यक समझा जाए तो उससे पहले	❖ एसओआर को प्रत्येक पाचं वर्ष में संशोधित किया जाएगा।	❖ एसओआर को प्रत्येक पाचं वर्ष में संशोधित किया जाएगा।	❖ पट्टे पर भूमि आवंटित करते समय एसओआर को नवीनतम बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
6 (सी)	, I vksvkJ vkekkj	❖ उल्लिखित नहीं	❖ एसओआर का निर्धारण प्रति वर्ष किराए के रूप में प्लाट के बाजार मूल्य के छः प्रतिशत को लेकर किया जाता है	❖ एसओआर प्लाट के बाजार मूल्य के छः प्रतिशत पर किया जाना चाहिए।	❖ भूमि के बाजार मूल्य के छः प्रतिशत आरक्षित मूल्य होगा जहां आवंटन के लिए निविदा एंव निलामी व्यवहार्य थी अन्य मामलों में दर भूमि के बाजार मूल्य से छः प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6 (दी)	okM"kd of)	❖ पट्टा किराया प्रति वर्ष उचित दर पर वृद्धि वहन करना और पांच प्रतिशत से कम नहीं	❖ पट्टा किराया को प्रति वर्ष उचित दर पर वृद्धि वहन करना और दो प्रतिशत से कम नहीं। एमबीपीटी के मामले में चार प्रतिशत पर वृद्धि।	❖ पट्टा किराया को प्रति वर्ष उचित दर पर वृद्धि वहन करना और दो प्रतिशत से कम नहीं। एमबीपीटी के मामले में चार प्रतिशत पर वृद्धि।	❖ पोर्ट बोर्ड वार्षिक वृद्धि की एक दर निर्धारित करेगा जो दो प्रतिशत से कम नहीं होगी।

Ø   a	eſſ	fn'kk&funſk 1995	uhfr 2004	uhfr 2010	uhfr 2014
6 (ई)	, l vkvkj i j Hkfe ds mſ ; dk i Hkko	❖ उल्लिखित नहीं	❖ एसओआर में भूमि के उपयोग के उद्देश्य के अनुसार अन्तर	❖ एसओआर में भूमि के उपयोग के उद्देश्य के अनुसार अन्तर	❖ बाजार मूल्य अन्तिम उपयोग से संबंधित नहीं था।
6 (एफ)	vupeknu ds fy, l e; l hek	❖ ऐसी कोई समय सीमा नहीं	❖ बोर्ड से प्राप्त किसी पूर्ण प्रस्ताव का 90 दिनों के अन्दर अनुमोदन करना चाहिए।	❖ ऐसी कोई समय सीमा नहीं	❖ पण्धारकों के साथ परामर्श के बाद टीएमपी को भूमि के बाजार मूल्य को प्रस्ताव की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर अधिसूचित करना चाहिए।
6 (जी)	l j{kk mi k;	❖ पट्टेदार को बंदरगाह को एक वर्ष का पट्टा किराया के बराबर प्रीमियम का भुगतान करना होगा ❖ पट्टेदार को वापसी योग्य जमा के रूप में एक वर्ष का पट्टा किराया के बराबर किराए की राशि जमा करनी होगी। ❖ पट्टे दार को 3 वर्षों के पट्टे किराए के बराबर की राशि अप्रति संहरणीय बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए	❖ उल्लिखित नहीं	❖ उल्लिखित नहीं	❖ उल्लिखित नहीं
7.	dctk	❖ बंदरगाहों को कब्जे से बचने और भू सीमा की सीमावंदी के लिए कदम उठाने होगे। ❖ कब्जा न हटाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। ❖ जहां कहीं भी कब्जा होने की संभावना हो बंदरगाह को ऐसी भूमि का निपटान करने पर विचार करना चाहिए।	❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।	❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।	❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।
8.	vfkys[kk dk dEl; Wjh dj .k	❖ दिशा-निर्देश में इस संबंध में कुछ नहीं है।	❖ नीति में इस संबंध में कुछ नहीं है।	❖ बंदरगाह को जिओग्राफिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित प्रणाली में पूरी भूमि प्रबन्धन को कम्प्यूटरीकृत करना चाहिए।	❖ नीति में यह पहलू कवर नहीं किया गया था।

## vuc&amp;k&amp;2

[kkyh@0; Fkz Hkfe dk fooj .k

%i § k 3-1-2 ns[k%

(ks , dM+e)

Ø- I a	cnj xkg	mi yCek dly Hkfe	dly vkcfv@ i; ä Hkfe %bI e vfrØfer rFkk foofn@ Hkfe 'kkfey g%	Hkkoh xfrfofek; ka I st@gfjr (ks= grq vkofVr Hkfe	mi yCek [kkyh Hkfe	'ksk 0; Fkz Hkfe	i Mh dly	fpligr xfrfofek; ka	cnj xkgka dh fVfll.k; ka
1.	I h, pi hVh	688.55	606.76	0.00	81.79	81.79	चिह्नित नहीं	यह बताया गया था (जून, 2015) कि क्षेत्र भावी विकास के भाग के रूप में रखा गया था तथा तुरन्त उपयोग अभिकल्पित नहीं था	
2.	ohvkd hi hVh	2774.63	2042.84	23.44	708.35	731.79	चिह्नित नहीं	यह बताया गया था (जून, 2015) कि, पत्तन नयी भूमि उपयोग योजना के अनुमोदन पर, जो अभी प्रक्रियाधीन थी, भावी विकास गतिविधियों के लिए खाली भूमि का उपयोग करेगा।	
3.	I hvkj hVh	2188.53	1003.22	619.83	565.48	1185.31	चिह्नित नहीं	यह बताया गया था (जून, 2015) कि 62.77 एकड़ भूमि (23 प्लाट) खाली पड़ी थी तथा इन प्लाटों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किये जाएँगे।  यद्यपि, उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार (दि. सम्बर, 2014) कुल खाली भूमि 565.48 एकड़ थी।	
4.	, u, ei hVh	2352.00	1990.49	280.00	81.51	361.51	चिह्नित नहीं किया गया	कोई उत्तर नहीं	
5.	dsh, y	2785.59	696.66	2088.93	0.00	2088.93	चिह्नित नहीं किया गया	कोई उत्तर नहीं	
6.	, echihVh	1998.03	1806.45	0.00	191.58	191.58	चिह्नित नहीं किया गया	कोई उत्तर नहीं	
7.	tsui hVh	7380.00	1861.50	3790.00	1728.50	5518.50	सेज.IV, टर्मिनल, मरीन के केमीकल टर्मिनल, केन्द्रीय कार पार्किंग प्लाजा	कोई उत्तर नहीं	

8.	, ei hVh	533.48	522.12	11.36	0.00	11.36	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया था (जून, 2015) कि खाली भूमि पहले ही गतिविधियों जैसे टैक फार्म, कन्टेनर मालभाड़ा स्टेशन, कन्टेनर यार्ड तथा डिपो हेतु चिन्हित की गई थी।
9.	ds hVh	31408.00	12842.44	13395.00	5170.56	18565.56	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया था (जून, 2015) कि सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने के पश्चात, जो प्रक्रियाधीन है, खाली भूमि का उपयोग किया जाएगा।
10.	ds/kis hVh@ dMh, I	4576.00	3463.00	193.00	920.00	1113.00	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया कि (जून 2015) 306 एकड़ भूमि नवम्बर 2014 से पहले आंबटित की गई थी तथा 326 एकड़ टाउनशिप हेतु प्रस्तावित थी, एवं खाली भूमि (96.58 एकड़) आंबटित की जानी थी।  तथापि, आंकड़ों ने 31 मार्च 2014 तक खाली स्थिति दर्शाई थी।
11.	ds/kis hVh@ , pMhI h	6367.00	4016.23	435.43	1915.34	2350.77	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया था (जून 2015) कि 1913.69 एकड़ पत्तन के अपने उपयोग हेतु थी।
12.	i hi hVh	6521.03	3804.43	1300.00	1416.60	2716.60	चिन्हित नहीं किया गया	यह बताया गया था (जून 2015) कि 700 एकड़ टाउनशिप हेतु तथा 600 एकड़ एमएमएलपी, एसडी डब्ल्यूपी, रेलवे इत्यादि हेतु चिन्हित की गई थी।  तथापि, उत्तर खाली भूमि के उपयोग पर मौन था।
13.	ohi hVh	7618.30	6539.62	812.83	265.85	1078.68	भारतीय नौसेना सीएफएस, गोदाम, ट्रक पार्किंग इत्यादि	यह बताया गया था (जून 2015) कि उपलब्ध खाली भूमि पहले ही विभिन्न विकास गतिविधियों हेतु चिन्हित कर ली गई थी।  तथापि उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गयी खाली भूमि (265.85 एकड़) पर स्पष्ट नहीं था।
	tkM+	<b>77191.14</b>	<b>41195.76</b>	<b>22949.82</b>	<b>13045.56</b>	<b>35995.38</b>		

## vuplyud&amp;3

Loro foys[kk] dh mi yfekrk  
 Vjy k 3-1-4-1 ea l nHkrh

Wke , dM+ eH

O-   a	cnjxkg dkk ulke	vfkdkj ea dly Hmfe	mi yfek Loro foys[k]	vuplyfek
1.	सीएचपीटी	688.55	1.63	686.92
2	वीओसोपीटी	2774.63	0.00	2774.63
3	सीओपीटी	2188.53	0.00	2188.53
4.	एनएमपीटी	2352.00	0.00	2352.00
5.	केपीएल	2785.59	0.00	2785.59
6.	जेरूनपीटी	7380.00	6177.00	1203.00
7.	एमबीपीटी	1998.03	1214.02	784.01
8.	केपीटी	31408.00	28476.00	2932
9.	एमपीटी	533.48	412.48	121.00
10.	केओपीटी / केडीएस	4576.00	0.00	4576.00
11.	केओपीटी / एचडीसी	6367.00	5968.60	398.40
12.	फीपीटी	6521.03	0.00	6521.03
13.	गीपीटी	7618.30	0.00	7618.30
dly		77191.14	42249.73	34943.41
प्रतिशत		100.00	54.73	45.27

नोट: कोई राजिस्टर नहीं बनाया गया था लेकिन लेखापरीक्षा को बंदरगाह द्वारा आंकड़े दिये गये थे।

## vuyXud&4

**, I vksvkj dks iLrq djus vkj vupeknu es foyEc  
Vij 3-4-1 es I nHkrh**

Ø- I a	cnj xkg	I vksvkj dk vfre I dkku	vyx I dkku ds fy; s fu; r frffk	i gys iLrko dh frffk	i p% iLrqhdj.k	Vh, , eih }kj vupeknu dh frffk	uohture fLFkfr	foyEc dh vofek	Vh, , eih }kj vupeknu dh foyEc dk dkj.k
1	सीएचपीटी	मार्च 2000	मार्च 2003	2006	सितम्बर 2008; फरवरी 2013; अप्रैल 2014; अक्टूबर 2014	दिसम्बर 2014	अनुमोदित	नौ वर्ष और नौ माह	चेन्नै बंदरगाह ने 2002 में संशोधन प्रस्तुत नहीं किया चूँकि भूमि कार्य में अधिशेष स्थिति दिखाई। बंदरगाह ने 2009 और 2013 में भूमि के बाजार मूल्य के आकलन में एलपी दिशा-निर्देशों में निधरित प्रणाली का पालन नहीं किया। बंदरगाह उपयोगकर्ताओं ने प्रस्ताव में वृद्धि का विरोध किया। बंदरगाह भूमि के बाजार मूल्य को पुनः मूल्यांकन करने के लिये सहमत हुआ। टीएमपी ने अंतिम अनुमोदन तक एलपी के अनुसार वृद्धि लागू करने की अनुमति दी। एसओआर को भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तिथि से 15 दिन समाप्त होने के अंदर लागू होगा और पांच वर्षों के लिये लागू होगा और स्वतः ही समाप्त हो जायेगा यदि इसे प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया न जाये।
2	वीओसीपीटी	जुलाई 2002 से जून 07 तक ब्लॉक के लिये नवम्बर 2004	2007–12 ब्लॉक के लिये जुलाई 2007 और 2012–17 ब्लॉक के लिये जुलाई 2012	2007–12 ब्लॉक के लिये अप्रैल 2009 और 2012–17 ब्लॉक के लिये जून 2012	जनवरी 2012 और जून 2012	दोनों ब्लॉक के लिये अप्रैल 2014	अनुमोदित	छह: वर्ष और नौ माह	वीओसीपीटी ने मार्च 2011 में संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय पर प्रतिक्रिया नहीं की। टीएमपी ने प्रस्ताव को वापस मान लिया। इसके अतिरिक्त समिति ने आगे के प्रस्ताव में एलपी के खण्ड 6.3.1.(ए) के अनुसार सिफारिष प्रस्तुत नहीं की। टीएमपी ने पूर्वव्यापी रूप से 01.07.2009 और 2012 से अनुमोदित किया।

Ø- I a	cnjxkg	, I vkskj dk vfre I dkku	vyx I dkku ds fy; s fu; r frffk	i gys i Lrko dh frffk	i µ% i Lrffhdj.k	Vh, , eih }kj k vupknu dh frffk	uojhure fLFkfr	foyEc dh vofek	Vh, , eih }kj k vupknu dh vLoH-fr@ foyEc dk dkj.k
3	सीओपीटी	अक्टूबर 1996	अक्टूबर 2001		2006;  जून 2007;  अगस्त 2009 एवं फरवरी 2010	जून 2010	अनुमोदित	आठ वर्ष  आठ माह	प्रेषित प्रस्ताव एलपी के अनुरूप नहीं थे। बंदरगाह प्राधिकरणों से बाजार मूल्य आधारित प्रस्तावों को तैयार करने के लिए कहा गया इसलिए 2003–2005 के बाजार मूल्य पर विचार किया गया था। बंदरगाह प्राधिकरण ने उसके द्वारा प्रस्तावित मूल्य पर विचार करने के लिए टीएमपी से अनुरोध किया क्योंकि मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार भूमि का मूल्य बंदरगाह मूल्य से कम था।  एसओआर भारत के गजट में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के बाद प्रभावी हो जाएगा और जुलाई 2010 से जुलाई 2015 तक लागू रहेगा।
4.	एमपीटी	2000	2005	अगस्त 2004	दिसम्बर 2008 एवं जनवरी 2012	मई 2012	अनुमोदित	छह: वर्ष एवं छह: माह	2002 और 2006 के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि बंदरगाह ने एलपी दिशानिर्देशों का पालन किए बिना लागत जमा उपागम को अपनाया था।  एसओआर भारत के गजट में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के बाद प्रभावी हो जाएगा और जून 2012 से जून 2017 तक लागू रहेगा।
5	एमबीपीटी (सीमा शुल्क अनुबंधित क्षेत्र, सीमा शुल्क अनुबंधित से बाहर का क्षेत्र एवं अनियमित पट्टेदार)	सितम्बर 2006	अप्रैल 2009	जनवरी 2009	अगस्त 2011	अक्टूबर 2011	अनुमोदित	दो वर्ष एवं छह:माह	टीएमपी ने दिसम्बर 2011 के बाद से दिसम्बर 2006–मार्च 2009 दरों को जारी रखने के लिए अधिसूचना (अक्टूबर 2011) दी।  सीमाशुल्क अनुबंधित क्षेत्र से बाहर के संबंध में किराए में 2004 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और 2006 में स्पष्टीकरण के आधार पर चार प्रतिशत पर वृद्धि हुई थी।  अनियमित पट्टेदारों के संबंध में जनवरी 1986 के बाद से दरों में संशोधन नहीं किया गया था।

0- 1 a	cnj xkg	, l vksvjk dk vfre l dkèku	vyx l dkèku ds fy; s fu; r frfFk	i gys i Lrko dh frfFk	i p% i Lrqtjdj.k	Vh,, eih }kj k vufeknu dh frfFk	uohture fLFkfr	foyEc dh vofek	Vh,, eih }kj k vufeknu dh vLoh-fr@ foyEc dk dkj.k
6	जेएनपीटी	अन्तिम संशोधन 1997 मे हुआ तथा अन्तिम मूल्य सुनिश्चित नहीं और प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है।							
7 (क)	केपीटी (ए से जी श्रेणी)	जुलाई 1999 से दिसम्बर 2003, जनवरी 2004—दिसम्बर 2008 और जनवरी 2009 से दिसम्बर 2013	अप्रैल 2010	मार्च 2011	ब्लॉक 1999 से 2003 के लिए 11 वर्ष एवं 10 माह, ब्लॉक 2004 से 2008 के लिए सात वर्ष एवं चार माह, दो वर्ष एवं चार माह	टीएएमपी की आवश्यकताओं को स्वीकार करने में विलंब।  सभी तीन आदेशों में कार्यान्वयन पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ किया गया था।			
7 (ख)	केपीटी लवणीय भूमि	मार्च 2011 दिसम्बर 2013	जून 2011	जनवरी 2014 से दिसम्बर 2018 के लिए नवम्बर 2014	अनुमोदित	10 माह	बंदरगाह उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं बंदरगाह प्राधिकरण को उनके दृष्टिकोण को समझने हेतु बताया गया था। बंदरगाह प्राधिकरण ने उत्तर दिया कि भूमि नीति 2014 और आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए प्रस्तावों में इसे संशोधित नहीं किया गया था।		
7 (ख)	केपीटी लवणीय भूमि	जुलाई 1994	जुलाई 1999		2006	अनुमोदित			टीएएमपी ने अन्य भूमियों हेतु प्रस्तावों सहित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की सलाह दी। बंदरगाह प्राधिकरण टीएएमपी निदेश के अनुसार प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया। तथापि, सरकार ने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने हेतु जोर दिया था। बंदरगाह प्राधिकरण ने लवणीय भूमि के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।
		जनवरी 2006	जुलाई 2010	फरवरी 2011	अप्रैल 2012	अनुमोदित	एक वर्ष एवं 10 माह		केपीटी ने छोटे भुखण्डों के लिए जुलाई 2010 में की गई नीलामी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को अपनाया। बंदरगाह उपयोक्ताओं ने आपत्ति की कि ऐसी दरें बड़े क्षेत्रों के लिए उचित होगी। टीएएमपी ने बड़े आकार के भुखण्डों हेतु नीलामी और उचित बाजार मूल्य निर्गमित करने की सलाह दी। केपीटी ने अनुरोध किया कि प्रभाव जुलाई 2010 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ दिया जाएगा।

54 iedk cnjxkgka ea Hmfe i caju ij fu"iknu ysfkki jh<sup>lkk</sup>

O- la	cnj xkg	, l vksvjk dk vfre l dkku	vyx l dkku ds fy; s fu; r frfFk	i gys i Lrko dh frfFk	i % i Lrqtjdj.k	Vh, , eih }kj k vufeknu dh frfFk	uoheure fLFkfr	foyEc dh vofek	Vh, , eih }kj k vufeknu dh vLoh-fr@ foyEc dk dkj.k
									आदेश को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ दिया गया था। इसके अतिरिक्त आदेश की अनुप्रयोग्यता को मार्च 2011 तक विस्तारित किया गया था। इसलिए, अपनाई गई दर व्यवस्थित थी।
	केपीटी (गांधीधाम टाउनशिप)		जनवरी 2014	.	.	विस्तारण दिया गया			मौजूदा आदेश ब्लॉक जनवरी 2009 से दिसम्बर 2013 के लिए मई 2012 में लागू हुआ था। इसे 30 जून 2015 तक या एसओआर के संशोधन को अंतिम रूप देने तक जो भी पहले हो विस्तारित किया गया था।  अंतिम रूप दिए जाने तक मौजूदा आदेश को लागू करने हेतु विस्तारण दिया गया था।
8	वीपीटी	ब्लॉक 1998 से 2003 और 2003 से 2008 के लिए 19 जोनों हेतु अप्रैल 2008 इन्हीं दो ब्लॉकों के लिए शेष 12 जोनों हेतु नवम्बर 2010	ब्लॉक 2008–13 के लिए अप्रैल 2008	नवम्बर 2011	.	जून 2012	अनुमोदित	चार वर्ष एवं एक माह	भूमि के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण प्राप्त करने में विलंब
9	एनएमपीटी	फरवरी 2002 से फरवरी 2007 ब्लॉक के लिए जनवरी 2005 2012–17 ब्लॉक के लिए जून 2010	2007–12 ब्लॉक के लिए फरवरी 2007	मार्च 2007	नहीं	जून 2010	अनुमोदित	तीन वर्ष और तीन महीने	मूल्यांकन रिपोर्ट जुलाई 2009 में प्रस्तुत की गई थी टीएमपी ने जुलाई 2007 से अतीतलक्षी ढंग से लागू करने की स्वीकृति दी।  गतावलोकी प्रभाव से अनुमोदित

Ø- I a	conj xkg	, I vksVkj dk vfre I dk kkeku	vYx I dk kkeku ds fy; s fu; r frffk	i gys i Lrko dh frffk	i p% i Lrffhdj .k	Vh, , ei h }kj k vupknu dh frffk	uohture fLFkfr	foyEc dh vofek	Vh, , ei h }kj k vupknu dh vLoH-fr@ foyEc dk dkj .k
10	केओपीटी / केडीस / एचडीसी	अक्टूबर 1999 (दो वर्षों के अंतरित आदेश के लिए)	अक्टूबर 2001	सितम्बर 2005	दिसम्बर 2009	जनवरी 2011	अनुमोदित	10 वर्ष और दो महीने	हाल ही के भूमि मूल्यांकन को देखने और संशोधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए बंदरगाह प्राधिकरण ने टीएसएमपी को पिछले प्रस्तावों को बंद करने का अनुरोध किया
11	पीपीटी	अप्रैल 2005	अप्रैल 2010	मई 2012	सितम्बर 2014 और नवम्बर 2014	प्रक्रियाधीन	.	आठ वर्ष	प्रस्ताव भेजने पर मंत्रालय ने अगस्त 2012 में नई एलपी दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा करने और एसओ. आर को अंतिम रूप देने के लिए तदनुसार प्रणाली अपनाने की सलाह दी।

- एमबीपीटी के मामले में मई 2000 से दिसम्बर 2014 तक और जेएनपीटी के मामले में अप्रैल 1998 से नवम्बर 2014 तक ढूँढ़े जाने पर टीएसएमपी वेबसाइट में प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का  
लाटा और अनुमोदन जैसे विवरण उपलब्ध नहीं थे।